



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-15122021-231861
CG-DL-W-15122021-231861

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 45] नई दिल्ली, नवम्बर 28—दिसम्बर 4, 2021 शनिवार/ अग्रहायण 7— अग्रहायण 13, 1943
No. 45] NEW DELHI, NOVEMBER 28—DECEMBER 4, 2021, SATURDAY/ AGRAHAYANA 7— AGRAHAYANA 13, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2021

का.आ. 815.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के उप-खंड (झ) के उपबंध इंडियन बैंक पर लागू नहीं होंगे, जहां तक इसका संबंध श्री शांति लाल जैन, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इंडियन बैंक को यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में दिनांक 31.8.2024 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नामिति निदेशक और गैर कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नामित करने से है।

[ई.फा. सं. 13/13/2018-बीओ.]

एस. आर. मेहर, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 3rd November, 2021

S.O. 815.—In exercise of the powers conferred by Section 53(1) of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), Government of India on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-clauses (i) of clause (c) of sub-section (1) of Section 10 of the said Act shall not apply to Indian Bank in so far as it relates to the nomination of Shri Shanti Lal Jain, Managing Director and Chief Executive Officer, Indian Bank to the Board of Universal Sompo General Insurance Company Limited as a nominee Director and Non-executive Chairman, for a period up to 31.8.2024 or until further orders, whichever is earlier.

[eF. No. 13/13/2018-BO.I]

S. R. MEHAR, Director

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2021

का.आ. 816.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री मदनेश कुमार मिश्रा के स्थान पर श्री समीर शुक्ला (संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में निदेशक नामित करती है।

[ईफा. सं. 6/3/2012-बीओ-1 (पार्ट)]

एस. आर. मेहर, निदेशक

New Delhi, the 8th November, 2021

S.O. 816.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Sameer Shukla (Joint Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services) as Director on the Board of Union Bank of India, with immediate effect and until further orders, *vice* Shri Madnesh Kumar Mishra.

[eF. No. 6/3/2012-BO.I (Part)]

S. R. MEHAR, Director